संपादकीय

लक्ष्यों की प्राप्ति में नीतियों की असफलता का दोष आमतौर पर नीतियां लागू करने में आने वाली बाधाओं की दिया जाता है। किंतु नीतियों की असफलता का मुख्य रूप से दोष तो नीतियां तैयार करने, प्रस्तावित हितकारियों अथवा उन व्यक्तियों के कारण होता है जिन्हें नीतियां तैयार करते समय विश्वास में नहीं लिया जाता जैसे पटवारी, ब्लॉक विकास अधिकारी आदि। इसी प्रकार से जी.एस.टी. संवैधानिक संशोधन बिल का मामला है। यह भारत का सबसे बड़ा कर (टैक्स) सुधार कार्यक्रम है। यह मानक जी.एस.टी. कानून का मसौदा आपको एक उपहास के अतिरिक्त कुछ नहीं लगेगा।

इस मानक जी.एस.टी. कानून के अनुसार 'कृषि' में पुष्प उत्पादन, बागवानी, फसलें बढ़ाना, घास, चारा आदि शामिल हैं। किंतु, इसमें डेरी, कुक्कुट पालन, फल संचयन, मनुष्य द्वारा तैयार वनों की संख्या बढ़ाना अथवा बीज और पौधे उगाने जैसे कार्यों को बाहर रखा गया है। अभी तक तो जी.एस.टी. उद्देश्य के लिऐ अंड़ों और गाय के दूध पर कर लगाया जाऐगा। लेकिन मीट बेचने को जी.एस.टी. में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि चारा या घास को कृषि के अंतर्गत रखा गया है। घास या चारा उगाने को टैक्स प्रयोजन में नहीं शामिल किया गया, लेकिन जनजाति समूह द्वारा वन उत्पादन को संचय करना टैक्स में शामिल किया गया है।

संभव है कि पट्टे पर कुल भूमि के ऊपर किऐ जाने वाले फसलों के आधे कार्यों को शेयर आधार पर किया जाता है। इसमें भूमि मालिक और किसान दोनों आने वाली लागत, उपकरणों और मजदूरी को आपस में अनुपातिक आधार पर बांटकर समझौता करते हैं। नई जी.एस.टी. योजना में इस प्रकार के समझौतों को टैक्स दायरे में लाने का प्रस्ताव है, जबकि वास्तव में फसल को उगाने के बारे में समझौते के बीच में अंतर करना असंभव है।

अभी भी हंसने या उपहास उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो हमें ब्रिटिश राज की विरासत में ही मिला है लेकिन नीति निर्माता इस बात को सरलता से नहीं मानेंगे। जी.एस.टी. बिल को पूरा पढ़ने से आपको फ्रांस के गिलोटिन की याद आ जाऐगी। जी.एस.टी. की परिभाषा में 'वस्तुओं' के अंतर्गत भूमि पर उगाई जाने वाली फस्लों को शामिल किया गया है, जिन्हें, आपूर्ति करने से पहले ही इस पर समझौता किया जाता है या करार किया जाता है (यह ऐसा है जैसे सिर से गर्दन को अलग करना)। दूसरे शब्दों में, टमाटर के पौधों की बिक्री पर तो टैक्स देना होगा लेकिन टमाटर बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा।

सरकार की कृषि क्षेत्र में सुधार करने की योजनाऐं प्रस्तावित भूमि पट्टा कानून पर आधारित हैं। इस मानक जी. एस.टी. कानून के अनुसार 'कृषक' एक कर योग्य व्यक्ति नहीं होगा लेकिन इस कृषक की परिभाषा को ऐसे व्यक्ति तक सीमित कर दिया गया है जो स्वयं भूमि पर खेती करता हो और उसका अपना अस्तित्व प्रभावित न हो। लेकिन यदि वह कोई भी करार करता है तो उस पर टैक्स लगेगा। निष्कर्ष यह है कि ठेके पर खेती और पट्टे की भूमि दोनों पर ही घातक चोट की गई है।

इस मुर्खतापूर्वक कानून के प्रति एक भी संसद सदस्य ने आवाज नहीं उठाई। जो किसान राज्य सभा की कार्यवाही देख रहे थे, उन्हें आश्चर्य हुआ होगा की ऐसे लोगों में एक भी व्यक्ति किसान समुदाय से नहीं था। यदि संसद सदस्य ही एक कानून बनाऐंगे और उसे पढ़कर पारित कर देंगे तो हम इस प्रकार की परिभाषा या व्याख्या को सहन नहीं करेंगे। टैक्स लगाने की दर पर केंद्र सरकार को मानक जी.एस.टी. कानून को स्पष्ट कारण देते हुऐ निर्धारित करना होगा और हम जैसे किसानों को इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिऐ। राजनेताओं

ने अपने सुविधाओं को ध्यान में रखकर शराब को तो जी.एस.टी. से बाहर रख दिया क्योंकि शराब के व्यापारियों से अपने राज्य में राजनीति चमकाने के लिऐ उन्हें इस कारोबार से अत्यधिक धन मिलता है।

निष्कर्ष रूप में ऐसा दिखाई देता है कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद मंडी टैक्स तो समाप्त हो जाऐगा और राज्यों को इन आने वाली कठिनाईयों और समस्याओं को अभी समझने की आवश्यकता है। अभी तक ऐसा लगता है कि जी.एस.टी. के अच्छे परिणाम हो सकते हैं लेकिन यदि इसमें परिवर्तन और संशोधन नहीं किऐ गऐ तो टेक्स की दरों को समान बनाने के स्थान पर यह प्रत्येक उद्योग और क्षेत्र के लिऐ बहुत ही दयनीय और कष्टकारी साबित हो सकता है। नीति निर्माताओं ने जी.एस.टी. योजना इस प्रकार से तैयार की है कि इसमें उनकी स्पष्ट किन्तु छिपी हुई भी इच्छा दिखाई दे रही है कि किसानों पर टैक्स लगाया जाऐ। बाईबल ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है 'नकली मसीहा से सावधान रहें, जो भेड़ के वेश में आता है लेकिन वास्तव में वह भेड़िया होता है'।

नीति आयोग को प्रस्तुत किऐ गऐ 15 वर्षीय भावी (विजन) दस्तावेज

12वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात की अवधि के लिऐ भावी दस्तावेज, रणनीति और कार्य योजना तैयार करने पर हमारे विचार प्रस्तुत करने के लिऐ हमें निमंत्रित करने पर हम आपका धन्यवाद करते हैं।

ग्रामीण आजीविका क्षेत्र के लिऐ, इस बात पर ध्यान न दें कि हम क्या करते हैं, दो बातें तो स्थाई रूप से रहेंगीः

1. अधिकतम किसान छोटे किसान ही रहेंगे (संचालित कृषि का आकार बढता रहेगा लेकिन कृषि करने वाले किसानों की संख्या अब से काफी कम हो जाऐगी)।
2. अधिकतम भारतीय कृषि वर्षा पर ही निर्भर रहेगी।

भविष्य में हम निम्नलिखित की आशा कर सकते हैंः

1. अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाऐं (सूखा और बाढ़) सामान्य हो सकती हैं। मॉनसून अधिकतम रूप से अस्थिर ही रहेगा।
2. अगले 15 वर्षों में जनसंख्या में ठहराव आ सकता है।
3. आर्थिक समृद्धि के कारण आहार की आदतों में परिवर्तन होगा और किसानों के लिऐ पैदावार के विकल्प हो सकते हैं।
4. प्रत्येक किसान परिवार में कम से कम 1 सदस्य कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य रोजगार में होगा।

15 वर्ष की भावी योजना और कार्यनीति दस्तावेज तैयार करने के लिऐ सुझावः

'संपूर्ण ग्रामीण आजीविका हितकारी' जैसे एक वाक्य के रूप में 15 वर्ष की भावी योजना तक सीमित रहने के स्थान पर मैंने कार्य नीति के रूप में कुछ लक्ष्यों की निम्नलिखित सूची तैयार की हैः

1. कृषि क्षेत्र से बाहर रोजगार उत्पन्न करना ताकि एक तिहाई भारतीय जनसंख्या से अधिक कृषि पर निर्भर न रहे।
2. सभी गांव में बुनियादी सुविधाओं की उपल्बधता (24 घंटे बिजली की आपूर्ति, पीने का पानी, सफाई और सफाई के उपकरण, सड़कें और सस्ता, किंतु तेज इंटरनेट कनैक्शन की सुविधा आदि)।
3. 4,000 स्मार्ट नगरों का विकास (इनमें अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाऐं दी जाऐं ताकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहें, इससे शहरों में आने वाले प्रवासियों की गति पर भी रोक लगेगी)।
4. नीति परख पारदर्शी रेगूलेटरी तंत्र जिसमें किसानों की भागीदारी हो।
5. सभी को ऋण मिलने की संस्थागत सुविधाऐं उपलब्ध कराना।
6. अधिकतम जल भंडारण क्षमता का निर्माण करना, जल का कुशलता पूर्वक उपयोग और जल उत्पादन के लिऐ सौर ऊर्जा जैसे उपायों को शामिल करना।
7. सभी ब्लॉक स्तरों पर मौसम की भविष्यवाणी समय–समय पर करना।
8. आंकड़े एकत्रित करना और विश्व की विद्यमान नीतियों के अनुसार उनकी गुणवत्ता और विशलेषण की जांच करना।
9. किसान बिना मालिक बने बिना खरीदे कृषि मशीनरी का कारगर उपयोग कर सके।

10. एक व्यवहारिक फसल बीमा कार्यक्रम जिससे सबसे छोटे किसानों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
11. सभी किसानों को संसाधनों का एक समान रूप से वितरण करना, चाहे उनके पास कितनी ही भूमि या छोटे–छोटे खेत हों (किसान परिवार की महिला सदस्यों के बैंक खाते में सीधा भुगतान)।
12. जैविक विविधता और भूमि स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना और इसके लिऐ सख्ती से नियम लागू करना और उल्लंघन करने पर दंडित करना।
13. कृषि संबंधी जलवायु को प्रोत्सहित करना, जिसके लिऐ नई तकनीक के साथ–साथ पारंपरिक ज्ञान के अनुभव का भी लाभ उठाना।
14. विश्व में भारत को बागवानी वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक बनाना।
15. अधिकतम पौष्टिक आहार का लक्ष्य निर्धारित करना जो कृषि पर आत्मनिर्भरता के आधार पर हो।
16. भारत में दालों और खाद्य तेलों की मांग की पूर्ति करने में आत्मनिर्भरता लाना।
17. कृषि अनुसंधान और विकास का लक्ष्य, इससे संबंधित सहायक गतिविधियों की विस्तार सेवा (नऐ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षकों को दोबारा भी प्रशिक्षण देना)।
18. पशुओं से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, जबकि पशुओं की कुल संख्या कम करने का लक्ष्य रखना।
19. बेहतर संयत्र सामग्री (फसलों – बीजों के लिऐ, पादपों पर ध्यान केंद्रित करके बागवानी क्षेत्र बढ़ाना)।
20. न्यूनतम रसायनों का प्रयोग (उर्वरक, कीटनाशक और ऐंटी–बॉयोटिक आदि) (प्रति क्षेत्र या एक्क 10 प्रतिशत वार्षिक कमी का लक्ष्य)।
21. विभिन्न प्रकारों और रूपों को मिलाकर वास्तविक बाजार, संपर्क, व्यापार और उपजों की खरीद/मूल्य गारंटी की सुविधा देना (सीधी खरीद करना तथा मूल्य कम होने पर भुगतान आदि की व्यवस्था)।
22. खाद्य प्रसंसाधन उद्योग को प्रोत्साहित करना।
23. पूर्व अनुमान लगाकर अनाज/खाद्य वस्तुओं की आयात–निर्यात नीति तैयार करना। सही मोल–भाव पर व्यापारिक करार या समझौते करना।

3 वर्षीय कार्य दस्तावेजः

वर्ष 2016 के पूर्व बजट में किऐ गऐ परामर्श के अंतर्गत वित्त मंत्री को हमारे द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर 3 वर्षीय कार्य दस्तावेज के लिऐ विचार किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो संसाधनों के असमान उपयोग और वितरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है, इसका कारण आहार तक सामान्य व्यक्ति की पहुंच न होना है, न की अपर्याप्त उत्पादन। आने वाले वर्षों में दिखाई दे रही बाधाओं और रूकावटों के बाद भी भारत में इतनी योग्यता है कि वह कम से कम 10 वर्षों में से 9 वर्ष के लिऐ भरपूर मात्रा में स्वयं फसलें उगा सकता है। यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि पूरे भारत में कृषि नीति लागू करने से भावी परिणाम सामने नहीं आऐंगे। नीति निर्माण के प्रत्येक चरण में किसानों को शामिल करने से ही हम भावी योजना या भविष्य के सपनों को वास्तविक्ता में बदल सकते हैं।

श्री राधा मोहन सिंह, माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा नबार्ड के स्थापना दिवस पर आयोजित संगोष्ठी '2022 तक किसानों की आय को दोगुना' पर दिऐ गऐ भाषण का सार।

आज के दिन की वार्तालाप की विषय वस्तु है 'किसानों की आय कैसे दोगुनी करें', यह पूरे राष्ट्र का प्रमुख और महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है और हमें विश्वास है कि अन्य बातों के होते हुऐ भी किसानों के कल्याण के लिऐ बहुत कुछ किया जा सकता है, जबकि बहुत से लोग यह संदेह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार कि योजनाओं का परिणाम शून्य होगा।

वास्तव में, कुछ संदेह करने वाले ऐसे लोगों का समूह है, जिन्हें गेहूं और जौ के बीच का अंतर भी नहीं पता, लेकिन वे इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि किसानों की आय भी दोगुनी हो सकती है। किंतु प्रत्येक भारत वासी को मानना चाहिऐ कि इस देश में इतनी क्षमता है कि एक दशक के भीतर किसानों की आय दोगुनी हो सकती है और इसका उदाहरण है गुजरात, जहां पर लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की जा चुकी है।

मध्य–प्रदेश राज्य भी एकीकृत पद्धति के लिए इस दिशा में प्रतिबद्ध है और उस राज्य के किसानों की प्रगति की कृषि विकास दर 20 प्रतिशत तक है और प्रधानमंत्री जानते हैं कि देशभर में यह दर भी प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि कृषि आय वृद्धि का प्रमुख साधन समर्थन मूल्य बढ़ाना ही नहीं है।

हम स्वीकार करते हैं कि समर्थन मूल्य एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है लेकिन आय बढ़ाने से पहले हमें उत्पादन बढ़ाने पर बल देना होगा। इसका अर्थ है कि उन किसानों तक पानी पहुंचाया जाऐ जिन्हें कई वर्षों से कृषि सिंचाई के लिऐ पानी नहीं मिल पा रहा है, आश्चर्य करने वाले पूछते हैं कि खेतों तक पानी कैस पहुंचेगा ? पिछले 25 वर्षों से इस देश में 89 परियोजनाओं पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जिनसे 86 लाख लिटर सिंचाई की जा सकती थी। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस कार्य के लिऐ रू. 50,000 करोड़ आबंटित किऐ जाऐं, जिसमें से इस वर्ष में ही 23 परियोजनाओं को पूरा करने के लिऐ रू. 30,000 करोड़ की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, राज्यों को भी रू. 12,500 करोड़ जारी किऐ गऐ थे।

जो राज्य सरकारें यह सोचती थी कि इन योजनाओं को लागू करने में 10–20 वर्ष लगेंगे, वे विश्वास करने लगीं हैं कि यह कार्य 1 वर्ष अथवा डेढ़ वर्ष की भीतर पूरा किया जा सकता है। नबार्ड ने भी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिऐ रू. 20,000 करोड़ की निधियों का एक कॉर्पस तैयार किया है। उत्पादन के साथ–साथ उत्पादकता भी बढ़ानी होगी। न कि केवल भूमि, बल्कि पानी, उर्वरक और अन्य उपकरणों की उपल्बधता भी बढ़ानी होगी।

जल उत्पादन बढ़ाने का अर्थ है कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाना, जिसमें ड्रिप और छिड़काव विधि अपनाई जाती है तथा सरकार इस दिशा में कारगर कार्य कर रही है। वर्ष 2015–16 में इस क्षेत्र में 1.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है और आने वाले वर्षों में इसमें और सुधार होगा। महाराष्ट्र में जहां किसान बहुत संकट और निराशा में थे, वहां गन्ने की खेती के लिऐ किसान सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर फस्ल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। गुजरात में भी 75 प्रतिशत किसान सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपना रहे हैं।

उर्वरक उत्पादकता बढ़ाने के लिऐ नीम कोटीड यूरिया का उपयोग करना होगा और यूरिया की मात्रा कम करने के लिऐ उतनी ही भूमि के लिऐ नीम कोटीड यूरिया उपयोगी होगा। इससे यूरिया के मूल्य कम होंगे जिसकी कृत्रिम कमी दिखाकर बहुत महंगी दर पर बेचा जाता था, और इसका लाभ किसानों को न होकर उर्वरक

उत्पादक फैक्ट्ररियों को हो रहा था। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप और नीम आधारित यूरिया का उपयोग बढ़ाकर उर्वरकों की कमी समाप्त होती जा रही है।

संसदीय और विधानसभा की कार्यवाही में भी प्रत्येक वर्ष यूरिया की बढ़ती मांग पर वार्तालाप किया जाता रहा है। यह सब अब रूक चुका है। किसानों का खर्च भी कम हो रहा है और इसका कारण नीम आधारित मिश्रण की कीमत उर्वरक से लगभग 20 प्रतिशत कम है और अन्य उर्वरकों की भी महंगे मूल्य पर काला बाजारी नहीं हो रही है।

प्रमुख चिंता का विषय खेतों का लगातार विखंडन होना है क्योंकि परिवार बंटते हैं और स्थिति ऐसी आ चुकी है कि किसान भूमिहीन होने की कगार पर है। बहुत से किसान तो कृषि श्रमिक बन चुके हैं। ऐसे किसानों को संयुक्त दायित्व समूहों में परिर्वतित किया जा रहा है और इसमें उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है, जैसा की पिछले 2 वर्षों में ही 10,000 लाख समितियां बनी हैं और उन्हें रू. 10,000 करोड़ से अधिक आबंटित किया जा चुका है। अब कुछ राज्य भी इस धारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। इन समूहों के कारण किसानों के खर्चे में कमी लाने में सहायता मिली है।

लक्ष्य यह है कि उपकरणों की लागत कम की जाऐ, इसके लिऐ हमें उत्पादकता बढ़ानी होगी। समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को लाभ मिलता रहेगा, किंतु अधिक चिंताजनक विषय किसानों तक पानी की आपूर्ति और यह सुनिशचित करना है कि उन्हें उचित मूल्य पर उपकरणों/मशीनरी की आपूर्ति हो।

भूमि सुधार/समाधान की दिशा में कई प्रयोगशालाऐं खोली गई हैं और पिछले 2 वर्षों में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे बीजों की किस्मों का विकास किया है जिनपर सूखे और बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अत्यधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।

किसानों को अच्छा मूल्य अनिवार्य रूप में मिलना चाहिऐ। किसान अपनी फसल को 40 कि.मी. स्थित मंडी में लेकर जाता है, वहां पर भी केवल 8–10 लाईसेंस वाले दलाल उसकी फसल का मूल्य और गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। किसान इतना मजबूर होता है कि वह अपनी फसल वापिस नहीं ले जा सकता और मंडी में स्थित लाईसेंस वालों/दलालों द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही फसल बेचनी पड़ती है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिऐ की किसान को उसकी फसल का अच्छा मूल्य मिले।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि मार्किट का घोषणा की है जिसमें 3 कानूनों में परिवर्तन किया गया है। इसका विरोध हुआ, किंतु जब सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को कर्नाटक में ले जाकर ई–मंडी का कार्य दिखाया गया और उस पर ई–मार्केटिंग की प्रक्रिया तथा अपने माल को किसी स्थान पर भी बेचने की अनुमति की पद्धति दिखाई गई तो वे प्रभावित हुऐ। इस प्रक्रिया में कई मंडियों को इकट्ठा कर दिया गया है। इस कारण बहुत से राज्यों ने अपनी सहमति से अपने–अपने राज्यों की कृषि उत्पाद विपणन समिति के अधिनियमों में परिवर्तन कर दिया है, 12 राज्यों के मंत्रियों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं, इन मंडियों के लिऐ एक नियत राशि आबंटित की गई है और एक सूचना प्रोद्यौगिकी इंजीनियर की भी नियुक्ति की गई।

8 राज्यों की लगभग 23 मंडियों में राष्ट्रीय कृषि ई–मंडी योजना आरंभ की गई। राज्यों से कहा गया है कि देश के किसानों के हित में वे ई–मंडी प्रक्रिया में भाग लें। करोड़ो रूपऐ की बिक्री की जा चुकी है और 200 मंडियों ने इसमें भाग लिया है तथा मार्च, 2017 तक 200 और मंडियां भी इसमें शामिल हो जाऐंगी। सभी राज्यों के

सहयोग से मार्च, 2017 तक 585 मंडियों को शामिल करने का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत देश की सभी 585 मंडियां एकत्रित हो जाऐंगी। इस योजना के अंतर्गत कोई भी किसान किसी मंडी में भी जा सकता है और कोई भी खरीददार किसी भी मंडी से माल खरीद सकता है।

हाल ही में 35 मंडियों से प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि अब किसानों को उनकी फसलों का अच्छा मूल्य मिलना आरंभ हो चुका है। इस प्रकार के उपाय और भी करने होंगे यदि किसानों की आय को दोगुना करना है और इसका सकारात्मक परिणाम देखकर ऐसी नीतियों पर संदेह करने वाले भी आश्चर्य व्यक्त करना बंद कर देंगे। किसानों को मौसम की अनिश्चताओं और प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाने की आवश्यकता है। हालांकि इनसे बचा नहीं जा सकता किंतु ऐसी योजना बनानी चाहिऐ कि जब भी उन पर कोई प्राकृतिक आपदा आऐ तो उन्हें राहत प्रदान की जाऐ, जबकि ऐसी राहत से उनके बोझ में कुछ मात्रा में ही कमी आऐगी।

राज्यों का यह दायित्व है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को तुरंत राहत प्रदान करे। पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार ने आपदा राहत के लिऐ रू. 33,000 करोड़ जारी किऐ है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिऐ इस राशि को बढ़ाकर रू. 61,000 करोड़ कर दिया है। राज्यों को वर्ष 2014–15 में इस कार्य के लिऐ केवल रू. 9,000 करोड़ दिऐ गऐ थे। किंतु नई सरकार आने के बाद इस राशि को बढ़ाकर रू. 12,500 करोड़ किया गया। किसानों को राष्ट्रीय आपदा राहत नीधि के माध्यम से वर्ष 2015–16 में भी रू. 13,500 करोड़ जारी किऐ गऐ। यद्यपि यह राशि पर्याप्त नहीं थी, इसलिऐ सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके स्थान पर आरंभ कर दी है। प्रधानमंत्री ने स्वंय इस मामले में रूचि दिखाई और विभिन्न फसलों के लिऐ बीमा की मनमानी दरों और प्रीमियम को समाप्त करने का निर्णय लिया।

आज चाहे कोई भी फसल किसी भी स्थान पर उगाई जाऐ, सभी रबी फसलों के बीमे की कुल राशि के लिऐ 1. 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा और 2 प्रतिशत का प्रीमियम खरीफ फसलों के लिऐ। इस राशि से जो कुछ भी अधिक होगा, बिना किसी कैप या सीमित पद्धति के वह राशि राष्ट्रीय खजाने से आबंटित की जाऐगी, इसका अर्थ यह है कि यदि रू. 30,000 की आवश्यकता थी तो कैपिंग पद्धति के अनुसार किसान को रू. 10,000 से रू. 20,000 मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है चाहे राष्ट्रीय खजाने पर कितना भी बोझ पड़े, कोई कैपिंग सीमा नहीं होगी और पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति की जाऐगी। नीति में यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है।

फसल हानि मूल्यांकन की पद्धति को भी बदला जा रहा है। क्योंकि नासिक में पिछले वर्ष हमने देखा कि अंगूर उत्पादक रो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं की बीमा राशि कब मिलेगी। पारंपरिक रूप से फसलों को हाथ से ही काटा जाता है, एक लेखपाल फसल की मात्रा लिखता है और उसे ब्लॉक ऑफिस में लाया जाता है, इसके पश्चात संबंधित राज्य विभाग में और उसके बाद ही बीमा कंपनी को भेजा जाता है। कुछ जिलों में बीमा के क्षेत्र और शामिल फसल का तो पंचायत स्तरों पर ही असंगतियां हैं, जिन्हें दावा प्रस्तुत करने से पहले ही दूर किया जाना चाहिऐ। लेकिन इसके लिऐ वर्षों का समय लग जाता है। मेरे सामने कुछ मामले ऐसे आऐ हैं, जिनमें बीमे की राशि वर्ष 2009 में क्लीयर कर दी गई थी, लेकिन किसान को वह राशि पिछले वर्ष ही मिल पाई।

यह पद्धति टैक्नोलॉजी, स्मॉर्ट फोन मोबाईल ऐप्स और ड्रोन टैक्नोलॉजी से बदली जा रही है, इस नई पद्धति के अंतर्गत यदि आपदा आती है तो राहत निधि का 25 प्रतिशत भाग तुरंत जारी कर दिया जाऐगा और बाकी का भुगतान 1 महीने के अंदर, इसका कारण है कि पूर्व में बहुत से परिवार इसलिऐ बर्बाद हो गऐ कि उन्हें दावे की राशि लगभग 1 वर्ष की देरी से मिली। हमें सर्वप्रथम इस समस्या का समाधान करना होगा। पहले राशि आबंटित तब की जाती थी यदि पूरी पंचायत प्रभावित होती थी। उदाहरण के लिऐ यदि पंचायत में से केवल 20

खेत ही प्रभावित होते थे तो उन किसानों को उनके खेतों के लिऐ राहत नहीं दी जाती थी। अब इसमें परिर्वतन करके प्रति खेत राहत आबंटन की योजना लागू की गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका स्वागत न केवल किसानों ने बल्कि अन्य व्यक्तियों ने भी किया है, जैसे मीडिया, शिक्षा के विद्वान, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि से संबंधित अन्य संस्थाऐं। भारतीय किसानों के लिऐ यह शुभ संकेत है।

देश की कृषि पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न केवल निर्भर है बल्कि इसमें शामिल भी है। कुछ व्यक्ति खेती करने के साथ–साथ सब्जी, फल, बकरी और गाय पालन, लकड़ी बेचना और इसी प्रकार के कार्य भी करते हैं जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत ने दूध, मछली, शहद, अंडे और ऐसी ही वस्तुओं के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेषकर पिछले 2 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में सराहनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2015–16 में दूध उत्पादन 6.3 प्रतिशत बढ़कर कुल 146.31 मिलियन टन हो सकता है, जबकि इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि केवल 2.2 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री ने शहद उत्पादन के लिऐ वर्ष 2015–16 में रू. 10 करोड़ आबंटित किऐ और अभी तक उत्पादन की मात्रा 1.5 से 2 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है। सरकार का प्रयास है कि इन सभी संबंधित कृषि क्षेत्रों को लाभकारी बनाया जाऐ ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो।

अधिकतम किसान एकीकृत कृषि की ओर भी आर्कषित हो रहे हैं। 5 सदस्यों का एक परिवार 1 हैक्टेयर भूमि से रू. 3.5 लाख से रू. 4 लाख तक बचा सकता है और देश में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी आय पिछले 2 वर्षों में बढ़ी है। कृषि विज्ञान केन्द्र और अन्य संस्थाओं को सभी राज्य स्तर पर अधिक निधियां आबंटित की जा रही हैं, और किसानों को भी एकीकृत पद्धति अपनाने के लिऐ प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि अधिकतम परिवार 1.5 से 2 एकड़ भूमि पर भी न केवल गेहूं उगाऐं बल्कि अन्य बागवानी वस्तुओं को कारोबार भी कर सकें। एफ.पी.ओ. पर भी सरकार ध्यान केन्द्रीत कर रही है।

ऑनलाईन मंडियों तक अधिकतम लोगों की पहुंच बनाने और अधिकतम किसानों को ऋण उपलब्धता के प्रयासों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भूमि रिकॉर्ड डिजिटाईजेशन होने से किसानों को जल्दी ऋण मिलने में सहायता मिलेगी। ऑनलाईन मॉर्टगेज की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार से ब्याज माफ करने और ऋण का समय पर भुगतान करने में भी छूट दी जा रही है ताकि किसानों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण मिल सके। हाल ही में ब्याज माफी के लिऐ रू. 18,000 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार अथक प्रयास कर रही है कि भारत के प्रत्येक किसान को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिले। इस कार्य के लिऐ भी चालू बजट में रू. 9 लाख करोड़ आबंटित किऐ गऐ हैं।

बैंकों को भी अपनी सोच बदलकर किसानों की सहायता करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक सामान्य किसान बैंक में प्रवेश करने से अभी भी डरता है। यदि वह बैंक में चला भी जाता है तो उसका काम 1 दिन में नहीं होता, बल्कि छोटे से काम के लिऐ भी 3–4 बार जाना पडता है। अभी तक बैंकों में रू. 22 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खोले गऐ हैं। यह कार्य 40 वर्ष पहले तब किया गया था जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ताकि सामान्य व्यक्ति भी बैंक सुविधाओं का लाभ उठा सके। किंतु आज भी स्थिति यह है कि पिछले 40 वर्षों में 1.5 करोड़ से 3 करोड़ खाते ही खुल पाऐ हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 100 दिनों के अंदर सभी किसानों के खाते खोले जाऐं और बैंक इस दिशा में पहल करें।

मैं एक गांव में रहता हूँ, मैं संसद सदस्य बना और एक केन्द्रीय मंत्री भी बन चुका हूँ, किंतु में अभी भी चाय की दुकान पर जाकर चाय पी लेता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी कितना भी बडा बन जाऐ, कुछ भी बन जाऐ, लेकिन कुछ आदतें बदलती नहीं हैं और मैंने अपने बारे में खुद देखा है। इसके अतिरिक्त, कृषि ऋण को शीघ्र और कुशलता से आबंटित किया जाना चाहिऐ ताकि किसानों को मानकीकृत दस्तावेजों की औपचारिकताओं के कारण बैंक सुविधा से वंचित न होना पड़े, यह दस्तावेज ऑनलाईन पर भी उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन पत्र भी ऑनलाईन पर उपलब्ध होने चाहिऐं। क्या हम यह गारंटी दे सकते हैं कि कृषि ऋण किसानों को एक पूर्व निर्धारित अवधि में ही मिले ? जन धन योजना, आधार कॉर्ड आदि को भी मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से लागू किया जा सकता है। यदि एक गैस एजेंसी ऐसा कर सकती है तो सभी भारतीय बैंक ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? भारतीय किसानों के कल्याण हेतु यह एक ऐसा कार्य है जिस पर चालू वर्ष में ही तेजी से कार्य करने और इस पर ध्यान केन्द्रीत करने की आवश्यकता है।